

Regd.  
From

Director Elementary Education, Haryana  
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

District Elementary Education Officer,  
Sirsa.

Memo No. 34/20-2018 HRM-II (3)  
Dated, Panchkula the,

**Subject:- Permission to go abroad – Smt. Sukhvir Kaur, ESHM, GMS Rangri Khera, Distt. Sirsa.**

Reference your letter No. E-4-18/2095 dated 16.04.2018 on the subject cited above.

Permission is hereby granted to visit to **8, Risdon Cres Tarneit, Vic-3029, Australia** from **01.06.2018 to 29.06.2018** on following terms and conditions:-

1. He/She will proceed on his/her visit to **8, Risdon Cres Tarneit, Vic-3029, Australia** after getting the leave sanctioned from the competent authority and will not get the leave extended while being abroad.
2. He/She will hand over his/her charge to the senior most teacher as the case may be before proceeding on leave.
3. He/She will bear all the expenses on the said tour from his/her own pocket and the State would not bear any expense incurred by him/her.
4. He/She will not accept any assignment by any Govt. or the NGO or anybody while on foreign visit.
5. He/She will not be doing any such activity which may be detrimental to the bilateral relations of India with the said country (s) being visited by him/her.
6. He/She will not be doing anything, which may be termed as detrimental to the sovereignty of India.
7. He/She will not be inviting any liability during his/her stay at abroad which may result into losses to Govt. in any manner.

<sup>E Sol</sup>  
**Superintendent HRM-II**  
**for Director Elementary Education**  
**Haryana, Panchkula.**

**Endst. No. Even**

**Dated, Panchkula, the 8/5/18**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. **Principal/Headmaster, GMS Rangri Khera, Distt. Sirsa.**
2. **Smt. Sukhvir Kaur, ESHM, GMS Rangri Khera, Distt. Sirsa.**
- ✓ 3. **IT Cell.**

<sup>Not on file</sup>  
**Superintendent HRM-II**  
**for/Director Elementary Education**  
**Haryana, Panchkula.**

1417/9T Cell  
09/05/18

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,  
पंचकुला।

सेवा में,

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,  
सिरसा/गुरुग्राम

यादि क्रमांक 13/110-2018 अस्था-1 (1)  
दिनांक, पंचकूला

विषय: समायोजन करवाने बारे—श्रीमती रेखा शर्मा, जे0बी0टी0 अतिथि अध्यापिका  
(5004678) रा0क0प्रा0पा0 ढुडियावाली (17557) जिला सिरसा से जिला  
गुरुग्राम

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देश दिए जाते है कि श्रीमती रेखा शर्मा,  
जे0बी0टी0 अतिथि अध्यापिका (5004678) रा0क0प्रा0पा0 ढुडियावाली (17557) जिला सिरसा  
का समायोजन जिला गुरुग्राम में जे0बी0टी0 के रिक्त पद के विरुद्ध कार्यग्रहण करवाएं  
तथा अनुपालना रिपोर्ट निदेशालय में तुरन्त भेजें ।

अधीक्षक अध्यापक स्था-1  
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,  
पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक

दिनांक पंचकूला 08/5/18

इसकी एक निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित है:-

1. मुख्य शिक्षक रा0क0प्रा0पा0 ढुडियावाली (17557) जिला सिरसा
2. श्रीमती रेखा शर्मा, जे0बी0टी0 अतिथि अध्यापिका (5004678) रा0क0प्रा0पा0  
ढुडियावाली (17557) जिला सिरसा
3. सयुक्त निदेशक, आई0टी0सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अधीक्षक अध्यापक स्था-1  
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,  
पंचकूला।

1418/9T Cell  
09/05/18

From

Director Elementary Education,  
Haryana, Panchkula.

To

District Elementary Education Officer,  
Ambala/Faridabad.


Memo No. 13/151-2018 ET-I (1)  
Dated, Panchkula

**Subject:- Extension of deputation of Smt. Nisha Kumari, JBT (2002229)  
GPS Mohra, District Ambala to GPS Sector-2, District Faridabad.**

\*\*\*\*\*

Reference to this office Memo No. 14/151-2017 ET-II (3) dated  
02.01.2018 on the subject cited above.


In continuation of this directorate above referred Memo No. the  
deputation of **Smt. Nisha Kumari, JBT (2002229) GPS Mohra, District Ambala** is  
hereby extended for 4 months (120 days) against vacant post in **GPS Sector-2,  
District Faridabad.**

  
Superintendent ET-I  
for Director Elementary Education,  
Haryana, Panchkula.

Endst. No.

Dated Panchkula the 08/5/18

✓ A copy is hereby forwarded to Joint Director, IT Cell for order  
uploading on website.

  
Superintendent ET-I  
for Director Elementary Education,  
Haryana, Panchkula.

143a/OTCEY  
09/05/18

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
**Directorate Elementary Education**  
**मौलिक शिक्षा निदेशालय**  
e-mail: eduprimaryhry@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Development  
EDUCATION DEPARTMENT  
शिक्षा विभाग, हरियाणा  
तमसो मा ज्योतिर्गमय  
From Darkness lead me to Light

कार्यालय: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला  
(ज्ञापन)

आदेश क्रमांक 14/9-2018 HRM-II (2) Dated Panchkula the, 13.04.2018

- 1 इनके द्वारा **Sh. Jitender Singh [077769], SSM, GMS Bhatsana (5467), Distt. Rewari now ESHM GMS Bhakdoli (6087), Distt. Mewat** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- 2 इसके द्वारा **Sh. Jitender Singh**, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है। कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
- 3 इसके द्वारा **Sh. Jitender Singh**, को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहता है तो उन्हें आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के पास है और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है। तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **Sh. Jitender Singh**, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। फिर भी **Sh. Jitender Singh**, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज की निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहिएं।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

(विकेन्द्र लाठर)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन  
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,  
पंचकूला।

Regd. **Sh. Jitender Singh [077769],**  
**SSM, GMS Bhatsana (5467),**  
**Distt. Rewari now ESHM**  
**GMS Bhakdoli (6087), Distt. Mewat**

पृष्ठांकन क्रमांक सम -

दिनांक, पंचकूला 7.5.2018

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी/मेवात।
2. मुख्यध्यापक, रा0मा0वि0 भटसाना जिला रेवाड़ी।
3. मुख्यध्यापक, रा0मा0वि0 भाखडौली जिला मेवात।
4. आई0टी0 सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0-II  
कृते0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,  
पंचकूला।

4/5/18



आरोप सूची विरुद्ध - Sh. Jitender Singh [077769], SSM, GMS Bhatsana (5467), Distt. Rewari now ESHM GMS Bhakdoli (6087), Distt. Mewat

.....

यह कि श्री जितेन्द्र सिंह, रा0मा0वि0 भाखडौली ने मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक के पद पर कार्य करते हुए जो अनियमितारं की उनके लिए उन्हे निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :-

1. यह कि इनकी पदौन्नति निदेशालय के आदेश क्रमांक 17/178-2016 HRM-II(2) दिनांक 04.09.2017 के तहत बतौर मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की गई थी। पदौन्नति आदेशो के 4 मास बीत जाने उपरान्त भी इनके द्वारा पदौन्नत स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं किया गया। इस प्रकार इन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशो की अवहेलना की है जो कि इनके स्तर पर एक गम्भीर चूक है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली-2016 के नियम 4 ;1) (i) (ii) (iii) व 4 (2) (i) की अवहेलना की है तथा स्वयं को सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है तथा आपके विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवा (डिण्ड एंव अपील) नियमावली 2016 के नियम 4 (b) तहत अभियोग चलाया जाना पाया गया है।

  
(विरेन्द्र लाठर )

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मौलिक शिक्षा  
हरियाणा, पंचकूला।


अभियोग सूची विरुद्ध - Sh. Jitender Singh [077769], SSM, GMS Bhatsana (5467), Distt. Rewari now ESHM GMS Bhakdoli (6087), Distt. Mewat

.....

यह कि श्री जितेन्द्र सिंह, रा0मा0वि0 भाखडौली ने मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक के पद पर कार्य करते हुए जो अनियमितारं की उनके लिए उन्हे निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :-

1. यह कि इनकी पदौन्नति निदेशालय के आदेश क्रमांक 17/178-2016 HRM-II(2) दिनांक 04.09.2017 के तहत बतौर मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक की गई थी। पदौन्नति आदेशो के 4 मास बीत जाने उपरान्त भी इनके द्वारा पदौन्नत स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं किया गया। इस प्रकार इन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशो की अवहेलना की है जो कि इनके स्तर पर एक गम्भीर चूक है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली-2016 के नियम 4 ;1) (i) (ii) (iii) व 4 (2) (i) की अवहेलना की है तथा स्वयंम को सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है तथा आपके विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 4 (b) तहत अभियोग चलाया जाना पाया गया है।

  
(विरन्द्र लाठर )


अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मौलिक शिक्षा  
हरियाणा, पंचकूला।

रिकार्ड की सूचि- Sh. Jitender Singh [077769], SSM, GMS Bhatsana (5467), Distt.  
Rewari now ESHM GMS Bhakdoli (6087), Distt. Mewat

.....  
1. मिडल हैड के पद पर पदौन्नति सम्बधित मिसल 17/178-2016 HRM-II(2)

गवाहों की सूची-

.....  
1. सम्बधित सहायक HRM-II शाखा।

  
(विरेन्द्र लाठर)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मौलिक शिक्षा  
हरियाणा, पंचकूला।